न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1520–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–3–13 पारित द्वारा नजूल अधिकारी बुरहानपुर प्रकरण कमांक 66/बी–121/11–12.

जुबैदा बी विधवा लाडले साहब
निवासी मोहल्ला सिंदीपुरा पानी की टंकी के पास शहर
तहसील व जिला बुरहानपुर .....आवेदिका

विरूद्ध

आसिफ अहमद पिता अहमद साहब
निवासी मोहल्ला सिंदीपुरा पानी की टंकी के पास शहर
तहसील व जिला बुरहानपुर .....अनावेदक

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/1/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नजूल अधिकारी बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–3–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक आसिफ अहमद द्वारा कलेक्टर बुरहानपुर को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के माता–पिता का देहांत उसकी नाबालिग अवस्था में हो गया था, और उसकी दादी हाफिजा बी घर की मुखिया तथा आवेदिका जुबैदा बी उनकी बड़ी मॉ थी । ब्लॉक नं. 10, प्लॉट नं. 296 भूखण्ड कमांक 5 रकबा 312 वर्गफीट बुरहानपुर मोहल्ला सिंदीपुरा में स्थित है, जिसका टैक्स नगर पालिका में उसकी दादी जमा करती रही है । दिनांक 10–7–98 को आवेदिका द्वारा धोखाधड़ी कर प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा अपने नाम प्राप्त कर लिया गया है, अतः

प्रश्नाधीन भूमि से आवेदिका का नाम कम किया जाकर अनावेदक को पट्टा प्रदान किया जाये । नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 66/बी–121/11–12 दर्ज करते हुए तहसीलदार नजूल बुरहानपुर को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । उक्त आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 13–7–12 को जांच कर प्रतिवेदन नजूल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । नजूल अधिकारी के समक्ष दिनांक 24–8–12 को आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 41 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि तहसीलदार के समक्ष जांच के दौरान उसके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, परन्तु तहसीलदार द्वारा आपत्ति पर उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, अतः प्रकरण में उसे पक्ष समर्थन का अवसर दिया जाये । नजूल अधिकारी द्वारा दिनांक 22–3–13 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि तहसील न्यायालय में आवेदिका अपने अभिभाषक के साथ उपस्थित रही है, और उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है, ऐसी स्थिति में उसे नये सिरे से अवसर दिये जाने का कोई आधार नहीं है, आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । नजूल अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा उसे सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, और न ही नजूल अधिकारी द्वारा उसे सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिया जा रहा है, जबकि न्यायहित में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है । उनके द्वारा नजूल अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नजूल अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नजूल अधिकारी द्वारा तहसीलदार को जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। तहसीलदार के समक्ष जॉच के दौरान आवेदिका को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ है, परन्तु उसके द्वारा अपना पक्ष समर्थन नहीं किया गया है, अतः नजूल अधिकारी द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा

अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त नजूल अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रचलित है, जहां आवेदिका को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थितियों में नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नजूल अधिकारी बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–3–13 के स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर